[Shri A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri]

concerned, when RAP is okay, the shortage is 13.9 per cent. And when RAP is not okay, the shortfall is much more because there is no supply there. Actually, that creates a lot of difficulties for us, and also for Rajasthan. With regard to UP, the present shortfall is 21.9 per cent. It was something like 46.2 per cent in 1979. Now things have improved. But they have not improved as they should have. for this, we are going to discuss this matter tomorrow.

With regard to the Central directive, if any State does not listen to our directive, I can assure you that I will stop their rural electrification. I will not give them.

AN HON. MEMBER: Who will suffer then? Only people and farmers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Motion for Election to Committee.

SHRI ZAINUL BASHER: Sir, the Minister has not given a reply.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now item 11

13.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE COIR BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): On behalf of Shri Charanjit Chanana, I beg to move:

"What in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of the House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

The motion was adopted.

13.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ACCUMULATION OF WATER IN VILLAGES IN SURATGARH TEHSIL, RAJASTHAN

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य देता हूं:

राजस्थान की सूरतगढ़ तहसील में घग्घर बाढ़ का पानी जी.एफ.सी. नहर द्वारा तथा राजस्थान नहर की आर.डी. 165 के अस्केप से पानी छोड़ कर 18 डिपरेशन पानी से भर दिये गये हैं और इस पानी का निकास नहीं किया गया है और यह 30 किलोमीटर के लगभग लम्बी, चार किलोमीटर चौड़ी तथा 20 फुट गहरी झील बन चुकी है। जहां यह पानी भरा हुआ है, उसके बन्धे रेत के टीले हैं। इन बालू रेत के टीलों में से पानी रिसता है, झरता है और इस झील के उत्तरी साइड में उपजाऊ जमीन है और इन बालू रेत के किनारों के पास लगभग 22 गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में बड़ोपल, किसनपुरा, मानकथेड़ी जिलानियां, ढाढियांवाली बिलकुल पानी से घिर गये हैं। यहां तक कि जिलानियां और ढाढियांवाली गांव खाली कर दिये हैं। सेमें से तमाम मकान गिर गये हैं और इन गांवों की जमीनों में सेमे का पानी भर गया है। खेती तथा फसल नाम की कोई चीज नहीं है और फसल की जगह एरा ही एरा नजर आ रहा है। इन गांवों के किसानों की जमीन सेमे के पानी में डूब गई है। ये लोग बिना घर और बिना जमीन के हो गये हैं। इन किसानों की हालत देखते ही बनती है। इनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं है। इस वर्ष बड़ोपल, मानकथेड़ी गांव के

किसानों को घरों का मुआवजा राजस्थान सरकार ने मंजूर किया है, बाकी गांवों का अभी नहीं हुआ है, मगर सेमें में आई जमीनों के बदले कास्त की भूमि अभी नहीं दी गई है। इन 18 डिपरेशनों का पानी खाली करने को स्कीम बनी हुई है मगर कुछ इंजीनियरों की नासमझी के कारण जहां पानी निकालना था उस हेड को 14 फुट लेवल ऊंचा बना दिया। इसलिए पानी इन डिपरेशनों से निकलने में बाधा पड़ गई है। अब इस हेड को तोड़ कर ही पानी बाहर छोड़ा जा सकता है।

इस स्कीम को कार्यान्वित न करने के कारण करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति किसानों की नष्ट हो गई है और सरकार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया है। अगर इस पानी को राजस्थान नहर की लो लेवल ब्रान्च में डाल दिया जावे तो राजस्थान नहर में पानी बढ़ सकता है और इन सेमें में आये हुए किसानों को करोड़ों रुपये की जमीनों का मुआवजा न देने से सरकार का घाटा पूरा हो सकता है।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को इसे लोक महत्व का प्रश्न समझ कर इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रसारित करेगी।

(ii) DRINKING WATER PROBLEM IN VILLAGES IN WESTERN REGION OF RAJASTHAN

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं:

"भारत में 33 वर्ष की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी देश की जनता को शुद्ध पेयजल सुलभ नहीं हुआ है। राजस्थान प्रान्त के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है। वहां के अधिकांश भाग में पानी की प्राप्ति के लिए 10-10 मील दूर जाना पड़ता है और वहां भी खारा पानी उपलब्ध होता है। परिवार का एक व्यक्ति इसी कार्य में लगा हुआ रहता है।

लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ने के कारण जल समस्या ने गम्भीर से गम्भीरतम रूप धारण कर लिया है। राज्य के करीब 400 गांवों को इस समय ट्रकों, टैंकरों एवं रेलवे टंकियों से पानी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहुंचाया जा रहा है परन्तु सप्ताह में एक बार और बड़े गांवों में दो बार पानी पहुंचाया जा रहा है जो बहुत ही अपर्याप्त है और वे प्रति व्यक्ति औसत 1/4 गैलन पानी प्राप्त करते हैं जो उनके पीने के लिए काफी नहीं है। अतः मांग है कि तीन सौ ग्रामों को जनसंख्या के लिए प्रति सप्ताह में तीन दिन और जहां ग्राम संख्या अधिक है वहां एक और दो टैंकर प्रति दिन भेजे जावें ताकि कम से कम एक गैलन प्रति व्यक्ति पीने का पानी मिल सके। जिन ग्रामों में अकाल के दिनों में हर साल पीने का पानी 10 मील से 50 मील की दूरी से टैंकरों द्वारा भेजा जाता है और अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है उन ग्रामों को केन्द्र सरकार प्रथम श्रेणी के समस्याप्रद ग्राम मानकर राजस्थान राज्य सरकार को निर्देश दे कि वे इन ग्रामों को पीने का पानी पहुंचाने की स्थायी योजना में प्राथमिकता दें।"

(iii) NEEED TO SET-UP THE AROMATIC COMPLEX IN KERALA

SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat)*: An expert committee had recommended Cochin, in Kerala, as a suitable place where an Aromatic complex should be set up. Now, to by-pass the recommendation of the expert committee and setup the factory in some other State would amount to neglect of Kerala and its interests.

The expert committee had recommended that the aromatic factory which will have an investment of Rs. 150 crores should be set up as a

*The original speech was delivered in Malayalam.